

कार्यालय नगर पंचायत, मुरलीगंज(मधेपुरा)

(Handwritten signature)

बन्दोवस्ती सूचना-01/2014-15

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत मुरलीगंज क्षेत्रान्तर्गत सैरातों की बन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष 2014-15 के तिथि 01, जून 2014 से 31 मार्च 2015 तक के लिए खुली डाक द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में निर्धारित किया गया है। इच्छुक डाकवक्ता निर्धारित तिथि एवं समय पर डाक में भाग ले सकते हैं।

क्र०	सैरातों का नाम	सु०जमा राशि	जमानत की राशि(सु०जमा राशि का 20%)	डाक की तिथि एवं समय
01	02	03	04	05
01	राजस्व गुदड़ी हाट, मुरलीगंज की वार्षिक बन्दोवस्ती।	6,55,100.00	1,31,100.00	दोनों सैरातों की बन्दोवस्ती दिनांक-21.मई.14 को 12:00 दिन से किया जायेगा।(किसी कारणवश उक्त तिथि को डाक सम्पन्न नहीं होने पर डाक दूसरी तिथि, 26 मई 2014 को 12:00 बजे दिन से किया जायेगा। किसी कारणवश दूसरी तिथि को भी डाक सम्पन्न नहीं होने पर तीसरी तिथि 28 मई 2014 को 12:00 बजे दिन से डाक किया जायेगा।)
02	मुरलीगंज बस पड़ाव की वार्षिक बन्दोवस्ती।	5,01,500.00	1,00,300.00	

शर्त:-

- डाक वक्ता को डाक प्रारंभ होने के पूर्व जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा(कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मुरलीगंज के पद नाम से देय) नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
- डाकवक्ता को डाक की निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व स्वच्छ आचरण प्रमाण-पत्र(जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत),पैन कार्ड,आयकर रिटर्न प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आदि कार्यालय में जमा करना होगा।
- उच्चतम डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुस्त डाक के उपरांत उसी दिन जमा करना होगा। जमा नहीं करने की स्थिति में उक्त सुरक्षित जमा राशि जब्द करते हुए द्वितीय स्थान के डाकवक्ता को प्राथमिकता देते हुए बन्दोवस्ती का अधिकार दिया जायेगा।
- सैरातों से नगर पंचायत द्वारा पूर्व निर्धारित दर से ही शूल्क वसूली करने का अधिकार बन्दोवस्तधारी को होगा।
- निर्धारित स्टाम्प शूल्क बन्दोवस्तीधारी को वहन करना होगा।
- डाक सशक्त स्थायी समिति एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मुरलीगंज के समक्ष किया जायेगा।
- उच्चतम डाकवक्ता को एकरारनामा करने के पश्चात ही डाक का परवाना निर्गत किया जायेगा।
- बिना कारण बताये डाक को रद्द/निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- डाक की समाप्ति के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय डाकवक्ता को छोड़कर शेष डाकवक्ता को जमानत की राशि नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा।
- बन्दोवस्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए नगर पंचायत कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

(Handwritten signature)
 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर पंचायत मुरलीगंज(मधेपुरा)

कार्यक्रम नगर पंचायत कुशीमंड (मधुपुर)

पत्रांक २१६ /

दिनांक ६/५/१५

प्रेषक) -

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत कुशीमंड

लोक से:

सूचना एवं विज्ञापन पदाधिकारी
खण्ड आइं० सी० (मधुपुर)

विषय: - खेतान बन्दोकली हल आम सूचना की प्रति जिला
स्वच्छ सर्वोद्योग पर अपलोड करने के संबंध में।

संबंधी

अपर्युक्त विषय के संबंध में विनियम २०१५-१५ के-
लिए खेतान बन्दोकली की आम सूचना की प्रति स्वच्छ
के माध्यम से अपलोड करने हुए अद्योप सुनि आस सूचना
के लिए स्वच्छ सर्वोद्योग पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुसूचित: न पत्रांक

विश्वामय

०६/०५/१५

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत कुशीमंड